बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : 27.5.14

विषयः राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि ।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–20(2) दिनांक–11.1.2010 द्वारा राज्य में संविदा पर नियुक्त सामान्य चिकित्सकों के लिए अनुबंध की राशि रू0 30,000 (तीस हजार रुपये) तथा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1316(2) दिनांक–14.11.2013 द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सकों का रू0 40,000/– (चालीस हजार रुपये) प्रति माह निर्धारित किया गया था ।

सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने निम्नानुसार मानदेय को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया हैः–

(क) सामान्य चिकित्सक – ₹41,000 (एकतालीस हजार रुपये) प्रति प्रतिमाह माह ।

(ख) सभी विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक ₹ 44,000 (चौवालीस हजार रुपये) प्रति माह ।

यह आदेश 1 जून से प्रभावी होगा एवं पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को भी देय होगा ।

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2/एम-88/2013– 593(2) /स्वा0, पटना, दिनांक : 27/5/2014

प्रतिलिपि : प्रभारी ई गजट शाखा, वित्त विभाग बिहार पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव वित्त विभाग/प्रधान स्वास्थ्य स्वास्थ्य के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाये/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाये/सभी सिविल सर्जन/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अप लोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी 2/3/9/7 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/5/2014
सरकार के संयुक्त सचिव

c> Sk>Sec-2 Sankalp26-5-14